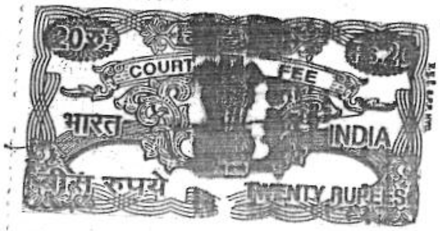

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग · 1868-III-14 सन् 2014

आनन्द चतुर्वेदी तनय श्री हरसेवक चतुर्वेदी,
निवासी वार्ड नं0 12, पटेलनपुरवा खजुराहो, तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0 ------ निगरानीकर्ता

बनाम

1. दरबारी तनय सुखइया अहिरवार (चमार)
2. लल्लू कोरी तनय नवला कोरी

दोनों निवासीगण ग्राम लखेरी, तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म0प्र0 ------- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 01/बी-121/अवैध भूमि विक्रय/2010-11 न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर, जिला छतरपुर महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2014 से परिवेदित होकर।
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता हैं :-

-: निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह् कि निगरानी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम लखैरी की भूमि खसरा नं0 697/1/2 रकवा 1.133 हे0 का खाता हिरिया पत्नी सकुँया अहिरवार के नाम से राजस्व अभिलेख के खसरा के कॉलम नं0 03 में साकिन देह लीज के रूप में भूमि दर्ज थी, जिसे माननीय नायब तहसीलदार महोदय राजनगर के आदेशानुसार दिनांक 19.12.1985 को लीज पट्टेदार के बजाय भूमि स्वामी हक प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया था। तब से गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1 दरबारी की माँ हिरया का नाम बतौर भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ

क्रमशः //2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1868-तीन/2014 जिला छतरपुर

आनन्द विरूद्ध दरबारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01/बी-121/अवैध भूमि विक्रय/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 08-05-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 07/3/19 सदस्य	